माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र चौहान, के समक्ष

गीता कपूर व अन्य _____याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य व अन्य _____ प्रतिवादी

सी. आर. एम.-एम.-37116, 2012

10 अक्टूबर, 2013

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005-धारा 12-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 173, 319, 482- भारतीय दंड संहिता 1860-S.406,498ए-'परिसीमा-डबल जियोपार्डी'-2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर शिकायत-भा.दं.सं. की धारा 498ए, 406 के तहत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी उनके खिलाफ दर्ज की गई - जिसे पुलिस द्वारा गलत पाया गया-धारा 319 में दायर किया गया आवेदन मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज किया गया -रिवीज़न भी खारिज कर दी - याचिकाकर्ता ने परिसीमा और डबल जियोपार्डी के आधार पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर शिकायत को रद्द कर दिया-घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत किसी भी समय दर्ज की जा सकती है-शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न एक निरंतर अपराध है-भा.दं.सं. की धारा 498-ए के तहत कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है-घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य एक असहाय महिला को सुरक्षा प्रदान करना है-कार्यवाही अलग से दायर की जा सकती है।

निर्धारित किया गया कि सही दृष्टिकोण यह है कि तलाक की डिक्री के मामले में, कार्यवाही दायर करने की सीमा केवल एक वर्ष है।लेकिन इस मामले में अभी भी पति-पत्नी का रिश्ता जीवित है। घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य, संविधान के तहत महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं।इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि पति और पत्नी के अस्तित्व में रहने वाले संबंध के मामले में, कोई परिसीमा नहीं है।इसका मतलब यह है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत किसी भी समय दर्ज की जा सकती है क्योंकि परिवार के भीतर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न एक निरंतर अपराध है।

(पैरा 6)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम समाज कल्याण कानून है और इसके अंतर्गत आने वाली कार्यवाही को दीवानी समझा जाये। जहाँ तक राहतों का संबंध है, केवल तभी जब आदेशित राहतों का पालन नहीं किया जाता है, प्रावधान कार्यवाही को आपराधिक बनाता है।लेकिन भा.दं.सं. के खंड 498-ए के तहत कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है, जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रक्रिया लागू होती है।भा.दं.सं. के खंड 498-ए के तहत केवल संहिता के तहत प्रदान की गई सजा अपराधी को दी जाती है।घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक शिकायत में, विभिन्न कानूनों के तहत दिए गए एक महिला के अधिकारों की रक्षा की जाती है और उन्हें लागू किया जाता है।एक महिला को विभिन्न राहतों जैसे बच्चों की अभिरक्षा, रखरखाव, निवास का अधिकार आदि के लिए अलग-अलग मामले दायर करने की आवश्यकता नहीं है।लेकिन वह घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही दायर करके अलग-अलग राहत का दावा कर सकती है। इसलिए, दोनों मामले अलग-अलग प्रकृति के हैं और एक-दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं।हालांकि, एक मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही में, अपराधी को सजा देने के लिए, भा.दं.सं. धारा 498-ए भी जोड़ सकता है।घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही समन की प्रकृति की होती है और पीड़ित को तत्काल राहत दी जानी होती है।घरेलू हिंसा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एक असहाय महिला को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वह पति के घर से बेदखल न हो या वह अपने ससुराल वालों के परिवार के सदस्यों के बर्ताव द्वारा अपने ससुराल को छोड़ने के लिए मजबूर न हो।इसके अलावा, अपने ससुराल में आश्रय देने के अलावा, उसे अपने पति की संपत्ति से वित्तीय सहायता भी दी जाती है, लेकिन यह संहिता की खंड 498-ए के तहत प्रदान नहीं की जाती है।

(पैरा 8)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि हमारे कानून निर्माता के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि दोनों कार्यवाही अलग-अलग प्रकर्ति की हैं और अलग-अलग दाखिल की जा सकती हैं। इस मामले में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही, भा.दं.सं. सी. की खंड 406,498-ए के तहत मामले के तथ्यों के आधार पर जारी रह सकती है।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरि ओम शर्मा

R.N.Bhardwaj, ए.ए.जी. हरियाणा।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता नमित खुराना।

जितेंद्र चौहान, न्यायमूर्ति

(1) वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता-Smt.Geeta कपूर (सास) और Ms.Renu भाटिया (साली) द्वारा दायर की गई है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगाधरी के न्यायालय में लंबित घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (यहाँ 'डी.वि.एक्ट' के रूप में संदर्भित) के खंड 12 के तहत अंजू कपूर बनाम संजीव कपूर और अन्य के रूप में शीर्षक वाली आपराधिक शिकायत No.120 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता अंजू कपूर-प्रतिवादी संख्या 2 ने पहले संजीव कुमार (पति), कुलदिप राय (ससुर), गीता कपूर (सास) और रेणु भाटिया (साली) के खिलाफ पुलिस स्टेशन फरकपुर में भा.दं.सं. की खंड 498-ए, 406 के तहत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की है।जाँच के बाद याचिकाकर्ता No.2-Smt.Renu भाटिया को निर्दोष पाया गया और खंड 173 Cr.P.C के तहत रिपोर्ट में कॉलम संख्या 2 में रखा गया। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा खंड 319 Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया गया ताकि याचिकाकर्ता संख्या 2 को अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब किया जा सके।उस आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगाधरी द्वारा दिनांकित 13.08.2010 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।शिकायतकर्ता श्रीमती. अंजू कपूर (प्रतिवादी संख्या 2) ने सत्र न्यायाधीश, यमुना नगर के समक्ष आपराधिक संशोधन में दिनांकित 13.08.2010 के आदेश को चुनौती दी, जिसे 21.04.2011 पर भी खारिज कर दिया गया था।विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सामान्य तथ्यों पर, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत शिकायत झूठ नहीं है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 468 एक महिला के साथ क्रूरता की तारीख से घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए केवल एक साल की सीमा निर्धारित करती है।उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य, 2011 (4) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 1 297, के पैरा 24 का हवाला दिया।विद्वान वकील ने बताया कि शिकायत के अनुसार क्रूरता का कथित कार्य दिनांकित 19.01.2007 है, जबकि आक्षेपित शिकायत 27.07.2009 पर दर्ज की गई थी और प्रस्तुत किया कि शिकायत एक वर्ष से अधिक है और याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं है।विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता नंबर 1-Smt.Geeta कपूर (सास) पर भा.दं.सं. की खंड 406,498-ए के तहत सामान्य तथ्यों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यह डबल जियोपार्डी है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि

याचिकाकर्ता नंबर 1 कपूर की आयु 70 वर्ष से अधिक है, वह वृद्धावस्था की बीमारी से पीड़ित है और प्रतिवादी नंबर 2 और उसके बेटे से अलग रह रहा है।वकील ने तर्क दिया कि दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जा सकता है।

(3) दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर प्रार्थना का विरोध किया कि याचिकाकर्ताओं ने समन आदेश को चुनौती नहीं दी है और यह याचिका संधार्य नहीं है।

(4) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है।

(5) इस मामले में, निर्धारण के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु उत्पन्न होते हैंः-

(i) क्या घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत शिकायत दर्ज करने की परिसीमा एक वर्ष है?

(ii) जहां भारतीय दंड संहिता की खंड 498-ए के तहत मामला पहले से ही लंबित है, वहां क्या घरेलू हिंसा अधिनियम @के तहत शिकायत कायम रखी जा सकती है?

प्वाइंट नं. (i)

(6) उपरोक्त लिखित, इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल का मामला वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।उद्धृत मामले में पक्षों के बीच तलाक का फरमान था।उद्धृत मामले के कानून में पक्षों के बीच संबंध समाप्त हो गए।सही दृष्टिकोण यह है कि तलाक की डिक्री के मामले में, कार्यवाही दायर करने की सीमा केवल एक वर्ष है।लेकिन इस मामले में अभी भी पति-पत्नी का रिश्ता जीवित है।घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य, संविधान के तहत गारंटीकृत, महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं।इसलिए, यह माना जाता है कि पति और पत्नी के अस्तित्व में रहने वाले संबंध के मामले में, कोई सीमा नहीं है।इसका मतलब यह है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत किसी भी समय दर्ज की जा सकती है क्योंकि परिवार के भीतर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न एक निरंतर अपराध है।

प्वाइंट सं. (ii)

(7) अगला प्रश्न यह है कि क्या एक ही तथ्यों के समूह पर, दो अलग-अलग कार्यवाहियां- एक भा.दं.सं. की खंड 198-ए के तहत और दूसरी घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत- बनाए रखने योग्य हैं या नहीं।

(8) घरेलू हिंसा अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है और कार्यवाही को दीवानी प्रकृति का माना जाना चाहिए।जहाँ तक राहतों का संबंध है, केवल तभी जब आदेशित राहतों का पालन नहीं किया जाता है, प्रावधान कार्यवाही को आपराधिक बनाता है।लेकिन भा.दं.सं. की खंड 498-ए के तहत कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है, जिस पर आपराधिक कार्यवाही संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कार्यवाही लागू होती है।भा.दं.सं. की खंड 498-ए के तहत केवल संहिता के तहत प्रदान की गई सजा अपराधी को दी जाती है।घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक शिकायत में, विभिन्न कानूनों के तहत दिए गए एक महिला के अधिकारों की रक्षा की जाती है और उन्हें लागू किया जाता है।एक महिला को विभिन्न राहतों जैसे बच्चों की अभिरक्षा, रखरखाव, निवास का अधिकार आदि के लिए अलग-अलग मामले दायर करने की आवश्यकता नहीं है।लेकिन वह घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही दायर करके अलग-अलग राहत का दावा कर सकती है। इसलिए, दोनों मामले अलग-अलग प्रकृति के हैं और एक-दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं।हालांकि, एक मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही में, अपराधी को सजा देने के लिए भा.दं.सं. की आदेश 498-ए भी जोड़ सकता है।घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही समन की प्रकृति की होती है और पीड़ित को तत्काल राहत दी जानी होती है।घरेलू हिंसा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एक असहाय महिला को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वह पति के घर से बेदखल नहीं किया जाता है या वह अपने ससुराल के परिवार के सदस्यों के कृत्यों द्वारा अपने ससुराल का घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होती है।इसके अलावा, अपने ससुराल में आश्रय देने के अलावा, उसे अपने पति की संपत्ति से वित्तीय सहायता भी दी जाती है, लेकिन यह संहिता की खंड 498-ए के तहत प्रदान नहीं की जाती है।

(9) इसलिए, हमारे कानून निर्माताओं के इरादे को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया जाता है कि दोनों कार्यवाहियां अलग-अलग प्रकृति की हैं और इन्हें अलग-अलग दायर किया जा सकता है।इस मामले में, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही, भा.दं.सं. की खंड 406,498-ए के तहत मामले के तथ्यों पर जारी रह सकती है।

(10) तदनुसार, संहिता की खंड 482 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करना उपयुक्त मामला नहीं है।उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका विफल है और खारिज कर दी जाती है।

*****

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा